



This is a digitally signed gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार 29 नवम्बर, 2011/8 अग्रहायण, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 28 नवम्बर, 2011

संख्या 3-10/2011-ई.एल.एन.-भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट/2011/एस0डी0आर, दिनांक 15 नवम्बर, 2011, जो कि विधान सभा उप-निर्वाचन-2011 में किसी भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण का परिणाम या अन्य किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण सहित निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर 28-11-2011 की सांय 5 बजे से 48 घंटों की अवधि के लिए रोक लगाने बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
नरेन्द्र चौहान,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001

अधिसूचना

सं० 576/एक्जिट/2011/एस0डी0आर

दिनांक : 15 नवम्बर, 2011

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क की उप-धारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त धारा की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए आयोग एतद्वारा दिनांक 30.11.2011 (बुधवार) को पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे तक के समय को ऐसे समय के रूप में, अधिसूचित करता है, जिसके दौरान आयोग के दिनांक 1.11.2011 के प्रेस नोट द्वारा हिमाचल प्रदेश में 12-नालागढ़ एवं 16-रेणका (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, हरियाणा में 41-रतिया(अ०जा०) एवं 47-आदमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और बिहार में 40-लोकहा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में घोषित किए गए उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी मामले में किसी प्रकार का निर्गम मत सर्वेक्षण करवाना या किसी भी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रचार करना निषिद्ध होगा।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन पूर्वोक्त उप निर्वाचनों के संबंध में किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण का परिणाम या अन्य किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण सहित निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर 28.11.2011 की सांय 5 बजे से 48 घंटों की अवधि के लिए रोक लगा दी जाएगी।

आदेश से,
आशीष चक्रवर्ती,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan
Ashoka Road,
New Delhi-110001

No.576/EXIT/2011/SDR

Dated: 15th November, 2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sub-section(1) of Section 126A of the Representation of People Act, 1951, and having regard to the provisions of clause (b) of sub-section (2) of the said Section, the Commission hereby notifies the period between 8 A.M. and 5.30 P.M. on 30-11-2011 (Wednesday), as the period during which conducting any exit poll or disseminating in any manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the bye-elections announced vide the Commission's Press Note dated 1-11-2011, from **12-Nalagarh & 16-Rainka (SC) Assembly Constituencies in Himachal Pradesh, 41-Ratia (SC) & 47-Adampur Assembly Constituencies in Haryana and 40-Laukaha Assembly constituency** in Bihar would be prohibited.

It is further clarified that under Section 126(1)(b) of Representation of People Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours commencing from 5 P.M. on 28-11-2011, in connection with aforesaid bye-elections.

By order,
(ASHISH CHAKRABORTY),
SECRETARY,

आबकारी एवं कराधान विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 28 नवम्बर, 2011

संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(1)-2/2011.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्याक 12) की धारा 63 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(5)-4/2005 तारीख 2 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 07 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2011 है।

2. **नियम 40 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 40 के उप नियम (5) के नीचे पंचम परन्तुक में "20" अंक के स्थान पर "30" अंक रखा जाएगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(1)-2/2011, dated 28-11-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**NOTIFICATION**Shimla-171002, 28th November, 2011

No. EXN-F (1)- 2/2011.— In exercise of the powers conferred on her by section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 notified vide this Department notification No. EXN-F(5)-4/2005 dated 2nd December, 2005 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated 7th December, 2005, namely:—

1. **Short title.**— These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Third Amendment) Rules, 2011.

2. **Amendment of rule 40.**—In rule 40 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, in the fifth proviso below sub-rule (5), for the figure '20', the figure '30' shall be substituted.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

अधिसूचना

शिमला-2, 23 नवम्बर, 2011

संख्या एफ.डी.एस.ए.(3)-3/90-11.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत का राजपत्र, तारीख 27.09.2011 में प्रकाशित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले, विभाग) मंत्रालय, के एसओ 2227(ई) तारीख 27.09.2011 के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल-1 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) अमेंडमेंट आर्डर, 2011 है ।

(2) यह अक्टूबर, 2011 के प्रथम दिवस से प्रवृत्त होगा और 30 सितम्बर, 2012 तक की अवधि के लिए या इस निमित्त भारत सरकार द्वारा जारी किसी आदेश तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त रहेगा ।

2. शडयूल-1 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल-1 में:-

(क) भाग-बी (पल्सेज) दालें के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-

पल्सेज (दालें)

(ख) भाग-सी (आयल सीडज) (तिलहन) के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-

एडिबल आयल सीडज (खाद्य तिलहन)

(ग) भाग-डी एडिबल आयलज (खाद्य तेल) के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-

एडिबल आयलज (खाद्य तेल)

आदेश द्वारा,
प्रेम कुमार,
प्रधान सचिव, खा0, ना0 आ0 एवं उप0 मामले।

[Authoritative English text of this Department Notification No, FDS-A(3)-3/90-11, dated 23rd Nov. 2011 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, 23rd November, 2011*

No.FDS-A(3)-3/90-II.—In exercise of the powers conferred by clause 18 of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981 read with S.O.2227(E), dated 27.09.2011 Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Government of India and published in the Extra-ordinary Gazette of India, dated 27.09.2011, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following Order further to amend the Schedule-1 appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) This Order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2011.

(2) It shall come into force on 1st day of Oct.2011, and shall remain in force till 30th September.2012 or till any order issued by the Government of India in this behalf which ever is earlier.

2. Amendmet of Schedule-1.—In Schedule-I appended to the **Himachal Pradesh TradeArticles(Licensing And Control) Order, 1981:—**

(a) Under Part “B” (Pulses) the following items shall be added, namely:-

“ Pulses”

(b) Under Part “C” (Oil SEEDS) the following items shall be added, namely:-

“Edible Oil Seeds”

(c) Under Part “D” (Edible Oils) the following items shall be added, namely:-

“Edible Oil ”

By order,
PREM KUMAR,
Principal Secretary (FCS&CA).

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

अधिसूचना

शिमला—2, 23 नवम्बर, 2011

संख्या एफ.डी.एस.ए.(3)—3/90—11.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत का राजपत्र, तारीख 27.09.2011 में प्रकाशित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले, विभाग) मंत्रालय, के एस0ओ0.2227(ई) तारीख 27.09.2011 के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981से संलग्न शडयूल—1 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) अमेंडमेंट आर्डर, 2011 है ।

(2) यह अक्टूबर, 2011 के प्रथम दिवस से प्रवृत्त होगा और 30 नवम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए या इस निमित्त भारत सरकार द्वारा जारी किसी आदेश तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त रहेगा ।

2. शडयूल—1 का संशोधन.— हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल—1 में:-

भाग ई अदर आर्टिकलज (अन्य वस्तुएं) के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात:-

सूगर (चीनी)

आदेश द्वारा,
प्रेम कुमार,
प्रधान सचिव, खा0, ना0 आ0 एवं उप0 मामले।

[Authoritative English text of this Department Notification No, FDS-A(3)-3/90-11, dated 23rd Nov. 2011 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 23rd November, 2011

No. FDS-A(3)-3/90-II.—In exercise of the powers conferred by clause 18 of the Himachal Pradesh Trade Articles(Licensing And Control)Order,1981 read with S.O.2227(E), dated 27.09.2011 Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Government of India and published in the Extra-ordinary Gazette of India, dated 27.09.2011,the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following Order further to amend the Schedule-1 appended to the Himachal Pradesh Trade Articles(Licensing And Control)Order, 1981, namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) This Order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2011.

(2) It shall come into force on 1st day of Oct. 2011, and shall remain in force till 30th November.2011 or till any order issued by the Government of India in this behalf which ever is earlier.

2. **Amendmet of Schedule-1.**—In Schedule-I appended to the **Himachal Pradesh TradeArticles(Licensing And Control) Order,1981:—**

Under Part “E” (Other Articles)the following items shall be added, namely:—

“ Sugar”

By order,
PREM KUMAR,
Principal Secretary (FCS&CA).